

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत
उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क) के मैनुअल
Manual of
Uttarakhand Information Commission
Under Section 4[1][b] of
Right to Information Act, 2005



उत्तराखण्ड शासन

USERC

Uttarakhand Science Education & Research Centre

Department of Information Technology, Good Governance & Science Technology
Govt. of Uttarakhand

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क)

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन

21/4 ई0सी0 रोड देहरादून – 248001

टेलीफोन नं0: 0135–2710302

Website : userc.in

विषय सूची

क्रम0	सं0	विवरण
1	मैनुअल संख्या-1 उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क), की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य	4-5
2	मैनुअल संख्या-2 उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क), के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	5
3	मैनुअल संख्या-3 विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं,	5
4	मैनुअल संख्या-4 कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	6
5	मैनुअल संख्या-5 अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	6
6	मैनुअल संख्या-6 दस्तावेजों, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गा का विवरण	6-10
7	मैनुअल संख्या-7 किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	10-11
8	मैनुअल संख्या-8 बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण।	12
9	मैनुअल संख्या-9 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	12
10	मैनुअल संख्या-10 अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबन्धित हो।	12
11	मैनुअल संख्या-11 सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	12
12	मैनुअल संख्या-12 सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि	12-13

	और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	
13	मैनुअल संख्या-13 अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां।	13
14	मैनुअल संख्या-14 किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों, या उसके द्वारा धारित हो ।	13
15	मैनुअल संख्या-15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है ।	13
16	मैनुअल संख्या-16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टिया	14
17	मैनुअल संख्या-17 ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए	14

**उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क), की
विशिष्टियाँ, कृत्य
और कर्तव्य
धारा 4(1) (ख) (प),**

**उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क), की विशिष्टियाँ, कृत्य और
कर्तव्य**

सामान्य व प्रमुख विशेषताएं : दायित्व

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क), का दायित्व उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों के वैज्ञानिकों द्वारा उच्चस्तरीय अनुसंधान के क्षेत्र में समन्वय स्थापित कर सहयोग प्रदान करना। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु मंच तैयार करना जिसके फलस्वरूप प्रमुख एवं आधुनिकतम वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा हो सके तथा जिसका व्यापक प्रभाव उत्तराखण्ड के विकास में निहित हो। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर भाषण, संगोष्ठी, सम्मेलन, परिसंवाद तथा कार्यशाला का समय-समय पर आयोजन करना। विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में कार्यरत स्वदेशी अथवा विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों/शोधार्थियों हेतु ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन स्कूलों का आयोजन करना। मेधावी छात्रों को विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजना हेतु सुविधा तथा सहयोग प्रदान करना। अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत शोधार्थियों को विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना। विज्ञान के अग्रणी तथा भविष्यगामी क्षेत्रों के बारे में पत्रिकाओं, मानोग्राफस तथा वैज्ञानिक पत्रों में प्रकाशन करना तथा विशेषकर उन विषयों का उल्लेख करना जिसका सम्बंध उत्तराखण्ड के सामाजिक कल्याण तथा पर्यावरणीय सुरक्षा से हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1963/XXXVII(1)/ वि0प्रौ0183- /05 देहरादून दिनांक 04 अक्टूबर 2005 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई। उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र यूसर्क को एक सोसाइटी के रूप में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम सं0 21,1860 ई0 के अधीन (पत्रावली सं0- 039793 HA) दिनांक 02.02.06 को पंजीकृत किया गया, जिसने 2008 में उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क), क्रियाशील की गयी। इस केन्द्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

विजन (Vision)

- उत्तराखण्ड में वैज्ञानिक अभिरुचि के विकास हेतु विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए अत्याधुनिक केन्द्र के रूप में विकसित करना।

- विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के मूलभूत सिद्धान्तों का पोषण करना।
- यूसर्क का लक्ष्य विज्ञान शिक्षा, अकादमिक उत्कृष्टता तथा नवीन अनुसंधान को प्रेरित करने एवं सहयोग हेतु प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरना है।

मिशन (Mission)

- नवीन शिक्षण तथा अनुसंधान के माध्यम से अनुसंधान की भावना को विकसित करना।
- प्रदेश के समग्र एवं सतत विकास हेतु वैज्ञानिक भावना का विकास करना।
- जिज्ञासा से प्रेरित छात्रों एवं युवाओं को अत्याधुनिक तथा बेसिक साइंस में शोध की ओर प्रेरित करना।
- राज्य केन्द्रित वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के माध्यम से वैज्ञानिक शोधों का विकास एवं प्रसार करना।
- सहयोगात्मक शोधों को बढ़ावा देना।
- छात्रों के नवाचारी विचारों को उचित मंच प्रदान करना।

मैनुअल संख्या –2

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क), के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

धारा 4(1) (ख) (ii),

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र, के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य वर्तमान में केन्द्र की प्रबन्धकारणी समिति द्वारा निदेशक को प्रदत्त अन्ततिम अधिकारों से ही दैनिक कार्य सम्पादित होते हैं। शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्धारण कर दिया गया है।

मैनुअल संख्या –3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

धारा 4(1) (ख) (viii)

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तदायित्व के माध्यम सम्मिलित है। प्रस्तावों के अनुरूप उच्च स्तरीय समिति द्वारा।

मैनुअल संख्या -4

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

धारा 4(1) (ख) (xiv)

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

सामान्यतः उत्तराखण्ड सरकार के नियमानुसार।

मैनुअल संख्या -5

अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

धारा 4(1) (ख) (iii)

अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख केन्द्र की सेवा नियमावली शासन से अनुमोदित है।

मैनुअल संख्या -6

दस्तावेजों, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण
धारा 4(1) (ख) (v), दस्तावेजों, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन प्रवर्गों का
विवरण

दस्तावेज

(क) नीतिगत विशेषताएं

1. अन्वेषी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।
2. संस्थाओं को एक साथ जोड़ना।
3. विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय।
4. उद्योग तथा शैक्षणिक जगत के मध्य सहयोग।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास।
6. प्रौद्योगिकी आधारित व्यापार को प्रोत्साहन।
7. आधारी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान के विकास हेतु प्रोत्साहन।

(ख) कार्य योजनाएं:

निम्नलिखित पांच प्रमुख क्षेत्रों में राज्य में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने तथा उसे सुदृढ़ करने हेतु केन्द्र द्वारा विभिन्न कार्य योजनाएं सुचारू रूप से चलाने का निर्णय लिया गया है:

1. **Research & Development (शोध एवं विकास)**
2. **Strengthening of Labs (प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण)**
3. **Technology Enabled Education (प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा)**
4. **Environment & Conservation (पर्यावरण एवं संरक्षण)**
5. **Societal Outreach (आउटरीच कार्यक्रम)**

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क), देहरादून विभिन्न क्षेत्रों में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों को प्रायोजित कर रहा है और इच्छुक समूहों द्वारा रचनात्मक क्रियाकलापों के लिये मंच प्रदान करेगा।

1- Research & Development (शोध एवं विकास)

यूसर्क राज्य में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान सम्बन्धी विविध क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों, अध्यापकों, वैज्ञानिक संस्थाओं एवं सामान्य जनमानस तक विज्ञान एवं अनुसंधान के लाभों को पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित कर अग्रणी शोध को बढ़ावा देने व राज्य परक शोध के विषय की पहचान करने हेतु विभिन्न विज्ञान विषयों में शोधार्थियों हेतु शोध एवं नवाचार के अवसर प्रदान कर रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न शोध संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से विकास हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 18 शोध एवं विकास (R&D) गतिविधियों पर सहयोगात्मक रूप से वैज्ञानिक प्रशिक्षण, अनुसंधान परियोजनाएं, शोध पत्रों, मोनोग्राफ, नेटवर्क का संचालन किया जा रहा है। यूसर्क द्वारा IISER, Mohali, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, COER विश्वविद्यालय एवं CIMS & UIHMT Grop of Collage, के मध्य MoU किया गया, जिसके अन्तर्गत शोध भावनाओं का विकास किया जा रहा है।

2- Strengthening of Labs

यूसर्क द्वारा वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों के दूरस्थ राजकीय इंटर कॉलेजों में 55 STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics) प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। यह प्रयोगशालायें छात्रों को प्रयोगिक ज्ञान के साथ ही विज्ञान के विभिन्न सिद्धान्तों को समझने में जहाँ एक ओर सहायक हैं वहीं दूसरी ओर छात्रों में चिंतन कौशल, सृजनशीलता एवं नवाचार की भावना को विकसित करते हुए छात्रों की भागीदारी प्रदेश के सतत् एवं समग्र विकास में सुनिश्चित कर रही है। भविष्य में ब्लॉक स्तर पर लैब विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

3- Technology Enabled Education (प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा)

प्रदेश में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित शोध संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण, संसाधन एवं विशिष्ट वैज्ञानिक उपलब्ध हैं। यूसर्क का यह प्रयास है कि प्रदेश के शोधार्थियों, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों को इन संस्थानों के साथ सहयोगात्मक रूप से विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराये जायें। इन प्रशिक्षण कार्यो के माध्यम से जहां एक ओर छात्रों में Skill विकसित होगी वहीं उनमें नवाचार का संचार होगा एवं उद्यमिता हेतु अनुकूल वातावरण विकसित होगा। Experiential Learning कार्यक्रम के तहत यूसर्क द्वारा सतत् विकास के लक्ष्य को अपनाते हुये प्रदेश के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रेरित करने हेतु राज्य में अवस्थित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय

स्तर के वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से छात्रों हेतु प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान करने के लिये One week Hands-on training (Certificate programme) का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों के उच्च शिक्षण संस्थानों के **UG/PG/Researchers/Teachers** द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्र-छात्राओं हेतु प्रमुख शोध संस्थानों यथा – **Institute of Microbial Technology CSIR- IMTECH, Chandigarh, IISER, Mohali, PU (Tech), CSIR-IIP, CIPET, Wadia Institute, AIMS, Rishikesh, FRI, SGRR, UPES** इत्यादि में साप्ताहिक हैण्डस ऑन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

यूसर्क की अभिनव पहल के तहत यूसर्क द्वारा नेशनल सेंटर फॉर मैथमेटिक्स (NCM) के सहयोग से कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों हेतु Advance Training in Mathematics (ATM) स्कूल के अंतर्गत **Instructional School for Teachers (IST)** एवं **Tata Institute of Fundamental Research (TIFR)** के संयुक्त तत्वधान में “**Complex Analysis from a Geometric Point of View**” विषय पर विभिन्न कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों से गणित विषय के **35 शिक्षकों** को (तेरह दिवसीय) प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

Instructional Visit Programme

उत्तराखण्ड के राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विज्ञान विषय यथा– Physics, Chemistry, Biology, Maths and Computer Science के शिक्षकों हेतु Institutional Teachers Training Program का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

यूसर्क द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए तीन दिवसीय “जल विज्ञान प्रशिक्षण” कार्यक्रम के अन्तर्गत जल विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को जल के विभिन्न आयामों जैसे जल की गुणवत्ता का अध्ययन, जल संरक्षण, जलस्रोतों का संवर्धन आदि को विभिन्न व्याख्यानों हैण्डस ऑन ट्रेनिंग, फील्ड विजिट आदि के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

Digital Learning Platform की स्थापना

यूसर्क द्वारा स्थापित किए गए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ऑनलाइन/ऑफलाइन विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सीमान्त भागों तक के छात्र छात्राओं तक विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों को तकनीकी के प्रयोग से पहुंचाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा छात्र-छात्राओं को **ICT Orientation Programme** प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों पर जानकारीयां प्रदान की जा रही है।

4- Environment & Conservation

वर्तमान में 13 जिलों के **200** राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान चेतना केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों और शिक्षकों के समन्वय से पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी एवं वैज्ञानिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। विज्ञान चेतना केन्द्रों के माध्यम से यूसर्क का यह प्रयास है कि छात्रों हेतु विशेषज्ञों के माध्यम से विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न जानकारीयां उपलब्ध करवायी जायें एवं विभिन्न विज्ञान सम्बन्धी प्रतियोगितायें, कैरियर काउंसलिंग, परम्परागत ज्ञान के संरक्षण, Know Your Habitat, Science & Technology Awareness Programm, Learning through festivity Programme, Scientific Days commemoration programme, Online programmes, Environmental Protection & Conservation Programme, Knowing Seeing Programme इत्यादि विषयों पर आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही है।

5- Societal Outreach (आउटरीच कार्यक्रम)

यूसर्क द्वारा आउटरीच कार्यक्रम के अनतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में विज्ञान एवं शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार किये जाने हेतु विभिन्न विज्ञान के विषयों पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यानों का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्र के द्वारा राज्य के विकासोन्मुखी, नीतियों के निर्धारण, रोजगार से सम्बन्धित विषयों, प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा उपाय एवं भविष्य की आवश्यकताओं से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं छात्रों को विभिन्न शोध संस्थानों में Institutional Tours निरन्तर आयोजित किया जा रहा है। राज्य में विज्ञान की शिक्षा के प्रति जागरूकता, संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार हेतु समस्त राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवसों का आयोजन किया जा रहा है।

❖ नवन्मोषी केन्द्रों की स्थापना

यूसर्क द्वारा 12 उद्यमिता विकास केन्द्रों यथा- नौगांव, उत्तरकाशी; सतपुली, पौड़ी गढ़वाल; रा0इ0का0 होरावाला देहरादून; सी0आई0एम0एस0, कुंआवाला; रा0इ0का0 मालदेवता देहरादून; रा0इ0का0 मिश्रवाण गांव, टिहरी गढ़वाल, रा0इ0का0 भिमावाला, देहरादून; रा0इ0का0 खदरी खड़कगमाफ, डोईवाला एवं विभिन्न विद्यालयों-एम0आई0ई0टी0, कुमाऊँ, हल्द्वानी, नैनीताल में स्थापना एवं संचालन किया जा रहा है।

अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में हरेला पीठ तथा पं० ललित मोहन शर्मा श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय कैम्पस ऋषिकेश में यूसर्क टीशु कल्चर लैब की स्थापना के साथ ही विभिन्न वैज्ञानिक जिसके अंतर्गत राज्य की परंपरागत फसलों के संरक्षण व संवर्धन हेतु विशेष अध्ययन, उच्च तकनीकी युक्त नर्सरी की स्थापना व शोध कार्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यापक सघन वृक्षारोपण आदि विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

❖ E-Content विकसित एवं प्रसारण

यूसर्क द्वारा प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा का प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश भर में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों में द्विभाषीय ई-कन्टेंट को ऑफलाइन/ऑनलाइन के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

❖ राज्य के छात्रों, अध्यापकों एवं महिलाओं हेतु वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के माध्यम से वैज्ञानिक अभिवृत्ति की वृद्धि एवं कौशल विकास हेतु कान्कलेवों का आयोजन

- **बाल युवा समागम** : उत्तराखण्ड के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं विज्ञान उन्मुख बच्चों के नवाचारी विचारों के आदान प्रदान एवं विज्ञान में हो रहे विकासों से अवगत करवाने हेतु बाल कान्कलेव का आयोजन करना। राज्य स्तर पर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक वर्ग के विज्ञान वर्ग में सर्वोच्च स्थान पाने वाले छात्रों को विज्ञान पुरुस्कार प्रदान करना। उत्तराखण्ड के विभिन्न विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत/शोधरत छात्र-छात्राओं को विज्ञान में हो रहे विकासों से अवगत करवाने हेतु देश-विदेश में अवस्थित विभिन्न स्थानों तथा प्रयोगशालाओं के शैक्षिक भ्रमण हेतु।
- **अध्यापक विज्ञान कान्कलेव** : उत्तराखण्ड के विज्ञान अध्यापकों एवं विज्ञान उन्मुख शिक्षकों को विचारों के आदान प्रदान एवं विज्ञान में हो रहे विकासों से अवगत करवाने हेतु अध्यापक विज्ञान कान्कलेव का आयोजन करना, जिसमें राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार, शिक्षा एवं प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने शिक्षकों को 'उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान' से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही उत्तराखण्ड के विभिन्न विद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कार्यरत विज्ञान वर्गीय अध्यापकों, प्रध्यापकों व वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिभाग किये जाने के अवसर प्रदान करना तथा विज्ञान में हो रहे विकासों से अवगत करवाने हेतु देश-विदेश में अवस्थित विभिन्न शोध केन्द्रों, विश्वविद्यालयों प्रयोगशालाओं तथा अन्य विशिष्ट स्थानों के शैक्षिक भ्रमण।

- महिला वैज्ञानिक कान्क्लेव : महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु महिला वैज्ञानिक कान्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य में विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में अनुकणीय कार्य करने वाली महिलाओं की पहचान कर उन्हें **Young women Scientist Excellence Award** एवं सात **Young Women Scientist Achievement Award** से सम्मानित किया जा रहा है।
- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान के समावेश से समाज में अनुकरणीय कार्य करने वाली उद्यमी महिलाओं को 'विज्ञान प्रयोगधर्मी महिला सम्मान' से सम्मानित किया जा रहा है।

मैनुअल संख्या -7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्ष के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।

धारा 4(1) (ख) (iv),

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।

उक्त हेतु केन्द्र की प्रबन्धकारणी समिति, अकादमिक/शैक्षिक सलाहकार एवं वित्त सलाहकार समिति गठित है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

प्रबन्धकारणी समिति (Governing Body)

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
6.	प्रो० एल०एम०एस० पालनी, पूर्व निदेशक, यूसर्क फ्लैट-1/बी रीतुरैन, वोल्डार्फ कम्पाउन्ड, नैनीताल-263001	सदस्य
7.	प्रो० अजय गैरोला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०), रुड़की।	सदस्य
8.	डा० आर०पी० पंत, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, एन०पी०एल० नई दिल्ली।	सदस्य
9.	डा० के०एस० बर्थवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आर०आर० सेन्टर फॉर एडवान्स टेक्नॉलॉजी, इन्दौर।	सदस्य
10.	कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।	
11.	Director General, Indian Council of forestry Research & Education, New Forest, Dehradun	सदस्य
12.	संकाय सदस्य यूसर्क, उत्तराखण्ड।	सदस्य
13.	निदेशक, उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क)	सदस्य
14.	निदेशक, यू-सैक, उत्तराखण्ड।	सदस्य

15.	निदेशक, यू0सी0बी0टी0, उत्तराखण्ड।	सदस्य
-----	-----------------------------------	-------

अकादमिक / शैक्षिक सलाहकार (Advisory Committee)

क्रम सं.	नाम / पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	निदेशक, उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क), उत्तराखण्ड।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुभाष धूलिया, पूर्व कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू, नई दिल्ली)	सदस्य
3.	प्रो0 जे0के0 जोशी, शिक्षाविद / पूर्व विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।	सदस्य
4.	प्रो0 एम0एम0एस0 रौथाण, डीन एवं हैड, कम्प्यूटर विज्ञान, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर।	सदस्य
5.	कुलपति, दून विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।	सदस्य
6.	प्रो0 आई0पी0पाण्डे, पूर्व विभागाध्यक्ष रसायन विभाग, डी0ए0वी0 पी0जी0 कॉलेज, देहरादून।	सदस्य
7.	वैज्ञानिक, यूसर्क (04 चकानुसार)	सदस्य

वित्त नियंत्रक समिति (Finance Committee)

1.	निदेशक, उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क), उत्तराखण्ड।	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन (वित्त नियंत्रक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन)।	सदस्य
3.	लेखाकार, यूसर्क।	सदस्य
4.	श्री आई.एम. धीवान, पूर्व सहायक कुल सचिव (वित्त), इग्नू।	सदस्य
5.	वैज्ञानिक, यूसर्क (01 चकानुसार)।	सदस्य
6.	प्रशासनिक अधिकारी, यूसैक / यूसर्क।	सदस्य
7.	उप सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य

उक्त प्रबन्धकारणी समिति केन्द्र की गठित नियमावली के अधीन कार्यरत होगी जिसका कार्यकाल 03 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। कार्यकारी समिति में अन्य सदस्यों को अध्यक्ष, सामान्य निकाय द्वारा समय-समय पर नामित किया जायेगा।

मैनुअल संख्या –8

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण।

धारा 4(1) (ख) (vi),

– लागू नहीं।

मैनुअल संख्या –9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

धारा 4(1) (ख) (ix)

मैनुअल संख्या –10

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबन्धित हो।

धारा 4(1) (ख) (x)

मैनुअल संख्या –11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

धारा 4(1) (ख) (xi)

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

लागू नहीं।

मैनुअल संख्या –12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

धारा 4(1) (ख) (xii),

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

मैनुअल संख्या –13

अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ।

धारा 4(1) (ख) (xiii)

अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ।
लागू नहीं ।

मैनुअल संख्या –14

किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों, या उसके द्वारा धारित हो ।

धारा 4(1) (ख) (xv),

किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों, या उसके द्वारा धारित हो ।

<https://userc.in> पर उपलब्ध ।

मैनुअल संख्या –15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है ।

धारा 4(1) (ख) (xvi),

मैनुअल संख्या –16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विषयवस्तु

धारा 4(1) (ख) (vii),

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विषयवस्तु

डॉ० ओम प्रकाश नौटियाल – वैज्ञानिक, यूसर्क

मैनुअल संख्या –17

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए

धारा 4(1) (ख) (xvii),

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए

शून्य